

Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 38-2018/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 6, 2018 (PHALGUNA 15, 1939 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 6th March, 2018

No. 06-HLA of 2018/7/3653.— The Haryana Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill, 2018, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 06- HLA of 2018

THE HARYANA MOTOR VEHICLES TAXATION (AMENDMENT) BILL, 2018

A

BILL

further to amend the Haryana Motor Vehicles Taxation Act, 2016.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-ninth Year of the Republic India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Haryana Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2018.

Short title and commencement

- (2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 23rd February, 2018.
- 2. For section 1 of the Haryana Motor Vehicles Taxation Act, 2016 (hereinafter called the principal Act), the following section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 19th September. 2016, namely:-

Amendment of section 1 of Haryana Act 24 of 2016

"Short title and commencement:- (1) This Act may be called the Haryana Motor Vehicles Taxation Act, 2016.

- (2) It shall come into force with effect from the 1st April, 2017.".
- **3.** In sub-section (2) of section 10 of the principal Act, for the words "one and half percent", the words "one percent per month or twelve percent per annum" shall be substituted.

Amendment of section 10 of Haryana Act 24 of 2016 Amendment of section 16 of Haryana Act 24 of 2016

- **4.** For sub-section (2) of section 16 of the principal Act, the following section shall be substituted:-
- "(2) The Government may, by notification, exempt a person or class of persons from liability to pay the whole or part of the tax or penalty in respect of any motor vehicle or class of motor vehicles, and may exclude any motor vehicle or class of motor vehicles from the operation of this Act and may give it prospective or retrospective effect."

Amendment of section 24 of Haryana Act 24 of 2016 **5.** In section 24 of the principal Act, after the words "under this Act", the words "retrospectively or prospectively" shall be inserted.

Amendment of section 27 of Haryana Act 24 of 2016

- **6.** After sub-section (2) of section 27 of the principal Act, the following sub-section shall be added, namely:-
- "(3) Notwithstanding such repeal, all the assessment cases under the Punjab Passengers and Goods Taxation Act, 1952 (Punjab Act 16 of 1952) pending with the Excise and Taxation Department before the commencement of this Act, shall be disposed off by the said department and any proceedings, such as appeal/revision, arising out of such disposal shall also be disposed off by the said department and for all the aforesaid purposes, the provisions of the Punjab Passengers and Goods Taxation Act, 1952 and the rules framed thereunder, shall be applicable, as if the said Act/rules had not been repealed and this Act has not come into force."

Repeal and saving

- 7. (1) The Haryana Motor Vehicles Taxation (Amendment) Ordinance, 2018 (Haryana Ordinance No. 2 of 2018), is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

State Government has enacted Haryana Motor Vehicles Taxation Act, 2016 [No.24 of 16 (HMVT, Act)] on 19.09.2016 to collect tax on all type of vehicles by the Transport Department (Regulatory Wing) after repealing Punjab Passenger & Goods Taxation Act, 1952 and Haryana Motor Vehicles Taxation Act, 2013. Haryana Motor Vehicle Taxation Rules, 2016 have also been notified after repealing the Haryana Motor Vehicle Taxation Rule, 2014 and Punjab Passenger & Goods Taxation Rules, 1952 and have come into force with effect from 01.04.2017. Tax collected by Excise & Taxation Department and Transport Department (Regulatory Wing) after the enactment of HMVT Act, 2016 on 19.09.2016 and prior to 01.04.2017 *i.e.* the date of commencement of HMVT Rules, 2016 needs to be validated. Further, it has also been decided to rationalize the rate of interest charged as per sub section 2 of section 10 of the Haryana Motor Vehicles Taxation Act, 2016 (24 of 16) and to reduce the same from one and half percent per month to one percent per month that is twelve percent per annum. It was also decided to carry out amendment in section 16 and section 24 of the HMVT Act, 2016 for empowering the Government for the grant of exemption from the tax liability and to refund the amount of tax and penalty paid in excess of the tax due either prospectively or retrospectively and also in section 27 of the said act for disposal of all the assessment cases under the Punjab Passenger & Goods Taxation Act, 1952 lying pending with the Excise & Taxation Department by the said department.

In view of the urgency of the matter due to huge financial implications involved in this case, an Ordinance No. Leg.4/2018 dated 23.02.2018 has been notified for immediately carrying out the aforesaid amendments in the Haryana Motor Vehicles Taxation Act, 2016.

Now, it has been considered necessary to enact the Haryana Motor Vehicle Taxation (Amendment) Bill, 2018 by repealing the aforementioned ordinance to amend the Haryana Motor Vehicles Taxation Act, 2016 accordingly.

KRISHAN LAL PANWAR, Transport Minister, Haryana.

Chandigarh: The 6th March, 2018. R. K. NANDAL, Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2018 का विधेयक संख्या ६-एच०एल०ए०

हरियाणा मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2018

हरियाणा मोटर यान कराधान अधिनियम, 2016, को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1.

है ।

- (1) यह अधिनियम हरियाणा मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जा सकता
 - (2) यह 23 फरवरी, 2018 से लागू हुआ समझा जाएगा।

2016 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 1 का संशोधन। 2. हरियाणा मोटर यान कराधान अधिनियम, 2018 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी तथा 19 सितम्बर, 2016 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थातः—

"संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भः— (1) यह अधिनियम हरियाणा मोटर यान कराधान अधिनियम, 2016 कहा जा सकता है।

(2) यह प्रथम अप्रैल, 2017 से लागू होगा।"।

2016 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 10 का संशोधन। 3. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) में "डेढ़ प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "प्रति मास एक प्रतिशत या प्रति वर्ष बारह प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2016 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 16 का संशोधन।

- 4. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी:—
- "(2) सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को किसी मोटर यान या मोटर यानों के वर्ग के सम्बन्ध में सम्पूर्ण कर या शास्ति या उसके भाग के भुगतान के दायित्व से छूट दे सकती है, तथा इस अधिनियम के प्रवर्तन से किसी मोटर यान या मोटर यानों के वर्ग को अपवर्जित कर सकती है तथा इसे भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव दे सकती है।"।

2016 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 24 का संशोधन। 5. मूल अधिनियम की धारा 24 में, "इस अधिनियम के अधीन ऐसे स्वामी की ओर देय राशि से अधिक में उसके द्वारा भुगतान किए गए कर या शास्ति की कोई राशि ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में प्रतिदाय करेगा" शब्दों तथा चिन्हों के स्थान पर, "इस अधिनियम के अधीन ऐसे स्वामी की ओर देय राशि से अधिक उसके द्वारा भुगतान किए गए कर या शास्ति की कोई राशि ऐसी रीति, जो विहित किए जाए, में प्रतिदाय भूतलक्षी या भविष्यलक्षी प्रभाव से करेगाः" शब्द तथा चिन्ह रखे जाएंगे।

2016 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 27 का संशोधन।

- 6. मूल अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के बाद, निम्नलिखित उपधारा जाड़ी जाएगी, अर्थात्:-
- "(3) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस अधिनियम के आरम्भ से पूर्व पंजाब यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1952 (1952 का पंजाब अधिनियम 16) के अधीन आबकारी तथा कराधान विभाग के पास लिम्बत सभी निर्धारण मामलों का निपटान उक्त विभाग द्वारा किया जाएगा तथा ऐसे निपटान से उदभूत किन्ही कार्यवाहियां:— जैसे अपील / पुनरीक्षण का निपटान भी उक्त विभाग द्वारा किया जाएगा तथा उपर्युक्त सभी प्रयोजनों के लिए, पंजाब यात्री माल तथा कराधान अधिनियम, 1952 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध लागू होंगे, मानों उक्त अधिनियम / नियम निरसित नहीं किए गये थे तथा यह अधिनियम लागू नहीं हुआ है।"।

निरसन और व्यावृत्ति।

- 7. (1) हरियाणा मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उददेश्यों तथा कारणों का विवरण

राज्य सरकार ने पंजाब यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1952 तथा हरियाणा मोटर यान कराधान अधिनियम, 2013 को निरस्त करते हुए सभी तरह के मोटर यानों पर करों के परिवहन विभाग (नियामक विंग) द्वारा संग्रहण हेतु हरियाणा मोटर यान कराधान अधिनियम, 2016 [16 का 24(एचएमवीटी अधिनियम)] अधिनियमित किया है। हरियाणा मोटर यान कराधान नियम, 2014 तथा पंजाब यात्री एवं माल कराधान नियम, 1952 को निरस्त करते हुए हरियाणा मोटरयान कराधान कराधान नियम, 2016 भी अधिसुचित किए गए हैं जो 01.04.2017 से लागु हुए हैं। हरियाणा मोटरयान कराधान अधिनियम, 2016 के दिनांक 19.09.2016 को अधिनियमन के पश्चात तथा दिनांक 01.04.2017 अर्थात मोटरयान कराधान नियम, 2016 के लागू होने की तिथी से पूर्व परिवहन विभाग (नियामक विंग) तथा आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा किए गए कर के संग्रहण को वैध करने की आवश्यक्ता है। आगे, हरियाणा मोटरयान कराधान अधिनियम, 2016 (16 का 24) की धारा 10 की उप—धारा 2 के अनुसार लगाए गए ब्याज की दर को तर्गसंगत करने हेतु तथा उसकी दर को डेढ़ प्रतिशत से एक प्रतिशत अर्थात 12 प्रतिशत वार्षिक करने का भी निर्णय लिया गया है। हरियाणा मोटरयान कराधान नियम, 2016 की धारा 16 तथा 24 में कर के भुगतान के दायित्व से छूट तथा देय कर से अधिक कर तथा शास्ति के भुगतान को भूतलक्षी या भविष्यलक्षी प्रभाव से वापिस करने के लिए सरकार को सशक्त करने का तथा पंजाब यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1952 के तहत आबकारी एवं कराधान विभाग के पास लंबित सभी निर्धारण मामलों का निपटारा उक्त विभाग द्वारा किए जाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 27 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया।

मामले में शामिल विशाल वितीय विविक्षा के कारण इसकी अतिआवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अध्यादेश क्रमांक Leg.4/2018 दिनांक 23.02.2018 हरियाणा मोटरयान कराधान अधिनियम, 2016 में उपरोक्त संशोधन करने हेतु अधिसूचित किया गया है।

अब, उपरोक्त अध्यादेश को निरस्त करते हुए हरियाणा मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2018 का अधिनियमन हरियाणा मोटरयान कराधान अधिनियम, 2016 में संशोधन करने हेतु जरुरी समझा गया है।

> कृष्ण लाल पंवार, परिवहन मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ः दिनांक 6 मार्च, 2018. आर० के० नांदल, सचिव।

56065-H.V.S.-H.G.P.,Chd.